JPR5-220

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य एवं योजना विभाग)

क्रमांक / जडि / उपमुअ / वा.एवंयो / सी– I / एफ4 (211) / प्रे. 936 दिंनाक 10/8/2004

–: आदेश :–

राज्य में भंयकर अकाल एवं सूखें की स्थिति को देखते हुये पूर्व में राज्य सरकार ने सामान्य कृषि श्रेणी मीटर्ड सप्लाई उपभोक्ताओं (टेरिफ कोड–4000) तथा विशेष श्रेणी वाले उपभोक्ताओं (टेरिफ कोड – 4200 एवं 4400) को रियायत प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया था कि ऐसे उपभोक्ताओं से वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर ही बिल वसूल किये जायें तथा मिनिमम बिलिंग तथा वास्तविक विद्युत उपभोग की राशि के अन्तर की राशि का पुर्नभरण राज्य सरकार द्वारा वितरण निगमों को किया जायें । तदनुसार जयपुर विद्युत वितरण निगम ने अपने आदेश जेपीआर 5–93 दिंनाक 24.10.2002 से सामान्य कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई उपभोक्ताओं (टेरिफ कोड – 4000) को बिलिंग माह नवम्बर , 2002 से वास्तविक उपभोग के आधार पर बिलिंग करने के आदेश प्रदान किये थे एवं इसी प्रकार कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई के विशेष श्रेणी वाले उपभोक्ता (टेरिफ कोड – 4200 एवं 4400) के लिये आदेश क्रमाक जेपीआर 5–107 दिंनाक 17.02.2003 से बिलिंग माह मार्च , 03 से वास्तविक उपभोग के आधार पर बिलिंग करने के आदेश प्रदान किये थें ।

अब यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 से मिनिमम चार्ज उपभोक्ता द्वारा ही देय होगें। अतः तुरंत प्रभाव से नियमानुसार उक्त श्रेणियों में मिनिमम चार्ज के बिल जारी किये जाऐं।

आज्ञा से ,

(हस्ताक्षर) 10/8

(एस.सी मल्होत्रा)

उप मुख्य अभियन्ता (वा एवं यो.)